न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 214/2022

अनवान : –

1. दशरथ पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर(मृतक) 1/1 जमना पत्नी दशरथ 1/2 जगदीश प्रसाद पुत्र दशरथ 1/3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दशरथ 1/4 जयसिह पुत्र दशरथ 1/5 कलीावती पुत्री दशरथ 1/6 सरोजदेवी पुत्री दशरथ 1/7 धापादेवी पुत्री दशरथ 1/8 गुडीदेवी पुत्री दशरथ 1/9 रामप्यारी पुत्री दशरथ जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. कमला पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. कुरडाराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. गिरधारी पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. मैनाी पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5. राधाकिशन पुत्र कुन्दरलाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर
6. राममूर्ति पत्नी मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7. हरदेवा पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/06/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान की कुल 114.03 बीधा भूमि स्थित थी जिसमें राधाकृष्ण पुत्र कन्दरमल जाति महाजन निवासी ललानाबास दिखनादा एवं रामू , दूला पि0 नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे।

अराजी खसरा न0 2722 की 41.18 बीधा भूमि जो कि राधाकृष्ण पुत्र कुदनमल जाति महाजन निवासी ललानाबास दिखनादा ने जरिये बेयनामा दिनांक 12.06.1959 को दशरथ पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन रामगढ को बेय कर दी तथा मुताबिक बेयनामा अनुसार दशरथ पुत्र ख्यालीराम खातेदार काश्तकार हो गया था।

रोही मौजा ढिलकी जाटान के खसरा न0 2722 की 55.19 बीधा के रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 337/472(51) के किला न0 5 ,6 ,9 ,11 ता 25 व प0न0 373/473 (62) के किला न0 1 ता 25 व प0न0 374/472 (52) के किला न0 1 ,2 प0न0 374/373(63) के कला न0 11 ,12 ,14 ,15 ,18 ,19 ,20 ,21 व प0न0 373/474 (63) के किला न0 1 ता 3 कुल 55.16 बीधा भूमि में परिर्वतन व पैमुद हुई है।

रोही मौजा चक 13 [illegible] बीधा भूमि में मनफुल गिरधारी पि0 लूणा जाति जाट साकिन ढिलकी जाट[illegible]किशन पुत्र कुन्दनलाल बहिब 1–1/8 हिससा दशरथ पुत्र ख्याल[illegible] तहसील नोहर 837 हिस्सा के खातेदार दर्ज कर दिया तथा रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खा[illegible]या 26/26 (62) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ता 12 ,19 ता 22 व मु0न0 63 के किला न0 1 ,2 कुल 12.00 बीधा भूमि दर्ज कर दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जमाबन्दीयो तैयार करते समय रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 के प0न0 373/473(62) के किला न0 1 ,2/0.506हैक्ट , 9 ता 12प्रत्येक 0.2530हैक्ट किला न0 19 ,22 प्रत्येक 0.2530हक्ट प0न0 373/474(63) के किला न0 1 ,2 प्रत्येक 0.2530हैक्ट कुल 3.060हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा दर्ज कर प्रकरण एसडीएम कोर्ट में जैरकार का नोट अंकित कर दिया तथा उपरोक्त खाते का अपवादित खाता की श्रेणी में रख दिया।

वाद भूमि रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोई हक हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 5 अपने नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि वादी को बेय कर चुका है तथा वादगस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोइ हक हिस्सा नही है इसलिये रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है अपवादित खाता का अंकन हटाया जावें।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वादग्रस्त भूमि में वादी को रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 8 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया रोही मौजा ढिलकी जाटान की कुल 114.03 बीधा भूमि स्थित थी जिसमें राधाकृष्ण पुत्र कन्दरमल जाति महाजन निवासी ललानाबास दिखनादा एवं रामू , दूला पि0 नत्थुराम जाति जाट निवासी ललानाबास मुश्तरका खातेदार काश्तकार थे।

अराजी खसरा न0 2722 की 41.18 बीधा भूमि जो कि राधाकृष्ण पुत्र कुदनमल जाति महाजन निवासी ललानाबास दिखनादा ने जरिये बेयनामा दिनांक 12.06.1959 को दशरथ पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन रामगढ को बेय कर दी तथा मुताबिक बेयनामा अनुसार दशरथ पुत्र ख्यालीराम खातेदार काश्तकार हो गया था।

रोही मौजा ढिलकी जाटान के खसरा न0 27/2 की 55.19 बीधा के रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 337/472(51) के किला न0 5 ,6 ,9 ,11 ता 25 व प0न0 373/473 (62) के किला न0 1 ता 25 व प0न0 374/472 (52) के किला न0 1 ,2 प0न0 374/373(63) के कला न0 11 ,12 ,14 ,15 ,18 ,19 ,20 ,21 व प0न0 373/474 (63) के किला न0 1 ता 3 [illegible] परिर्वतन व पैमुद हुई है।

रोही मौजा चक 13 जीजीएम [illegible] कुल [illegible].00 बीधा भूमि में मनफुल गिरधारी पि0 लूणा जाति जाट साकिन [illegible] पुत्र कुन्दनलाल बहिब 1–1/8 हिससा दशरथ पुत्र ख्याल[illegible] जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर 837 हिस्सा के खातेदार दर्ज कर दिया तथा रोही मौजा च[illegible] 13 जीजीएम के खाता संख्या 26/26 (62)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ता 12 ,19 ता 22 व मु0न0 63 के किला न0 1 ,2 कुल 12.00 बीधा भूमि दर्ज कर दिये गये।

जमाबन्दीयो तैयार करते समय रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 के प0न0 373/473(62) के किला न0 1 ,2/0.506हैक , 9 ता 12प्रत्येक 0.2530हैक किला न0 19 ,22 प्रत्येक 0.2530हक प0न0 373/474(63) के किला न0 1 ,2 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 3.060हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा दर्ज कर प्रकरण एसडीएम कोर्ट में जैरकार का नोट अंकित कर दिया तथा उपरोक्त खाते का अपवादित खाता की श्रेणी में रख दिया।

वाद भूमि रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोई हक हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 5 अपने नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि वादी को बेय कर चुका है तथा वादगस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का कोइ हक हिस्सा नही है इसलिये रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है अपवादित खाता का अंकन हटाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा ढीलकी जाटान में खसरा न0 27/2 की 55.19 बीधा भूमि राधाकृष्ण पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन साकिन ललानाबास दिखनादा के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी जिसमें से 41/08 बीधा भूमि राधाकृष्ण पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन साकिन ललानाबास दिखनादा ने जरिये बैयनामा दिनांक 12.06.1959 को दशरथ पुत्र ख्यालीराम को बेचान कर दी गई थी जो जो प्रस्तुत बैयनामा एव पर्चा खतोनी से साबित है।

रोही मौजा ढिलकी जाटान के खसरा न0 27/2 की 55.19 बीधा के रोही मौजा चक 13 जीजीएम के प0न0 337/472(51) के किला न0 5 ,6 ,9 ,11 ता 25 व प0न0 373/473 (62) के किला न0 1 ता 25 व प0न0 374/472 (52) के किला न0 1 ,2 प0न0 374/373(63) के कला न0 11 ,12 ,14 ,15 ,18 ,19 ,20 ,21 व प0न0 373/474 (63) के किला न0 1 ता 3 कुल 55.16 बीधा भूमि में परिर्वतन व पैमुद हुई है।

रोही मौजा ढिलकी जाटान की भूमियों को चकों में परिर्वतन करते समय उक्त भूमि जो दशरथ पुत्र ख्यालीराम ने खरीद की थी को भी चकों में परिर्वतन किया गया जिसमें दशरथ पुत्र ख्यालीराम की भूमि को रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 26/26 (62) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10 ता 12 ,19 ता 22 व मु0न0 63 के किला न0 1 ,2 कुल 12.00 बीधा भूमि में परिर्वतन एव पैमुद किया गया था जो पर्चा खतौनी से साबित है।

दशरथ पुत्र ख्यालीराम की भूमि को तो सही तौर से नये चक व प0न0 किला न0 में परिर्वतन किया लेकिन दशरथ पुत्र ख्यालीराम के साथ पूर्व के काश्तकार जिन्होने भूमि का बेचान कर दिया था या जिनकी भूमि अन्य प0न0 किला न0 में पैमुद हुई थी का नाम भी दशरथ पुत्र ख्यालीराम के साथ दर्ज कर दिया जिसके कारण हिस्सा सही तौर से मिलान नही होने के कारण जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय खाता उपवादित की श्रेणी में दर्ज कर सभी का हिस्सा एक समान जमाबन्दी में दर्ज हो गया जो संशोधन योग्य है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार ढिलकी जाटान की भूमि को खसरों से चकों एव प0न0 मु0न0 एव किला न0 में परिवर्तन करते समय अंकन से त्रुटी हुई है जो रिकार्ड एवं मौका के अनुसार सही किया जा सकता है।

पटवारी हल्का की रिकार्ड के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान अंकन सम्वत 2029 से ही दर्ज चला आ रहा है वर्तमान जमाबन्दी में दशरथ पुत्र ख्यालीराम हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कमला पुत्र मनफुल कुरडाराम पुत्र मनफुल गिरधारी पुत्र लूणाराम मैना पुत्र मनफुल राधाकृष्ण पुत्र कुन्दनमल राममूर्ति पुत्र मनफुल हरदेवा पुत्र मनफुल प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2029 में दशरथ पुत्र ख्यालीराम 837 हिस्सा व कमला पुत्र मनफुल कुरडाराम पुत्र मनफुल गिरधारी पुत्र लूणाराम मैना पुत्र मनफुल राधाकृष्ण पुत्र कुन्दनमल राममूर्ति पुत्र मनफुल हरदेवा पुत्र मनफुल 1–1/8 हिस्सा दर्ज है।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक् भूमि पर दशरथ पुत्र ख्यालीराम के वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

राधाकृष्ण पुत्र कुन्दनमल जाति महाजन से दशरथ पुत्र ख्यालीराम के द्वारा भूमि खरीद करने के उपरान्त आगामी जमाबन्दीया तेयार करते सयम सहवन से बेचान किये गये काश्तकार का नाम भी दर्ज कर दिया जिससे खाता उपवादित हो गया क्योकि जमाबन्दी में दर्ज भूमि और काश्तकारों का हिस्सा सही दर्ज नही होने पर खाता उपवादित की श्रेणी में आ जाता है।

अपवादित खाता को सही करने के लिये मौका की जांच की जानी आवश्यक है मौका पर जो भूमि जिस प्रकार से काश्त करता आ रहा है का नाम राजस्व रिकार्ड में रखा जाकर शेष काश्तकार जिनको अलग खाता में भूमि दर्ज हो गई है या अन्य को बेचान कर दी गई है का अलग खाते में नाम दर्ज हो गया है का नाम कलमजन किया जाकर खाता संशोधित किया जा सकता है।

दशरथ पुत्र ख्यालीराम के द्वारा भूमि खरीद करने के उपरान्त नये चकों में भूमि परिर्वतन होने के उपरान्त जिसके द्वारा भूमि बेचान की गई थी का नाम सहवन से दर्ज करने का कारण खाता उपवादित हुआ है जबकि वाद भूमि दशरथ पुत्र ख्यालीराम के कब्जा काश्त में खरीद के समय से चली आ रही है सहवन से दशरथ पुत्र ख्यालीराम के साथ अन्य काश्तकारों का नाम दर्ज हुआ है जिनका इस भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है जमाबन्दी में दर्ज अन्य काश्तकारों का हिस्सा भी नाम मात्र दर्ज है जो काश्त करने योग्य भी नही है।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि दशरथ पुत्र ख्यालीराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है अन्य काश्तकार जिनका जमाबन्दी में नाम दर्ज है का कब्जा काश्त नही है मात्र जमाबन्दी में नाम दर्ज है अपवादित खाता संशोधन करने के लिये इनका नाम जमाबन्दी से कलमजन करवाने का वादी अधिकारी है।

अतः वादी का वाद मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक् भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित का अंकन हटाया जाता है इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1 दशरथ पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर(मृतक) 1/1 जमना पत्नी दशरथ 1/2 जगदीश प्रसाद पुत्र दशरथ 1/3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दशरथ 1/4 जयसिह पुत्र दशरथ 1/5 कलाीवती पुत्री दशरथ 1/6 सरोजदेवी पुत्री दशरथ 1/7 धापादेवी पुत्री दशरथ 1/8 गुडीदेवी पुत्री दशरथ 1/9 रामप्यारी पुत्री दशरथ जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1 कमला पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2 कुरडाराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3 गिरधारी पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4 मैनाी पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
5 राधाकिशन पुत्र कुन्दरलाल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर
6 राममूर्ति पत्नी मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
7 हरदेवा पुत्री मनफुल जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 214 सन 2022 निर्णय दिनांक 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी का वाद साक्ष्य सबूतों/ मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जीजीएम के खाता संख्या 65/58 की कुल 3.0360हैक्‍ भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जाकर अपवादित का अंकन हटाया जाता है भूमि यदि रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:24 IST
Reason: SelfAttested